कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. / 1916/निर्माण /2022 | सिस्टम टेन्डर नं. 97681 | कोरबा, दिनांक 21.04.2022

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर एस.ओ.आर. में प्रावधानित समस्त आइटम हेतु (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) शेड्यूल अनुसार प्रतिशत दर पर ई–प्रोक्युरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि लाख में	धरोहर राशि रू में	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	नगर पालिक निगम कोरबा अंतर्गत नाली बिल्डिंग एवं सीमेंट कांक्रीट रोड के मरम्मत एवं संधारण कार्य हेतु वार्षिक दर का निर्धारण	00.00	113000.00	12 माह	वर्ग सी एवं प्रवर श्रेणी	13.05.2022 से ....

निविदा की शर्तेः–

1. निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत् दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
3. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकरी पिछले वित्तीय वर्ष का **आय चुकता प्रमाणपत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड एवं धरोहर राशि का स्केन कापी ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
4. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि एवं मरम्म्त संधारण प्रकृति के कार्यो को छोडकर 5 प्रतिशत् राशि पृथक से परफारमेंस गारंटी की राशि रनिंग देयकों के साथ 03 वर्ष हेतु रोकी जायेगी।
5. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
6. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
7. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का **1 प्रतिशत उपकर** के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. शासन के विभिन्न विभागों जैसेः– खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की रागरत जिग्गेदारी रांबंधित ठेकेदार की होगी।
10. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

11. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
12. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
13. उक्त कार्य के अंतर्गत मरम्मत एवं संधारण मद में अधिकतम 4.00 लाख एवं आवश्यक अन्य मद के अंतर्गत राशि रू 7.00 लाख तक के कार्य पृथक–पृथक स्वीकृत किये जा सकेंगे।
14. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
16. उपरोक्त निविदा सूचना के विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन निर्माण शाखा बालको जोन से प्राप्त किये जा सकते है।
17. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :– प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को **uad.cg.gov.in** में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)